न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 91/2021

आरसीएमएस नं. 91/2021

1. साहबराम } पिसरान माता धन्नी पुत्री श्री हरीराम जाति बावरी निवासीगण
2. रूड़ाराम } तंदूरवाली तहसील टिब्बी
3. गोरांदेवी पत्नी श्री सहीराम } जाति बावरी निवासीगण तंदूरवाली, तहसील
4. लीलादेवी पुत्री श्री सहीराम } टिब्बी जिला हनुमानगढ।
5. विनोद कुमार पुत्र श्री सहीराम }
6. सरबती पुत्री माता धन्नी पत्नी नेतराम जाति बावरी निवासी चक 28 तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
7. रामदेई पुत्री माता धन्नी पत्नी रामस्वरूप जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. गंगाराम पुत्र कुरड़ाराम
2. जीवनराम पुत्र श्योकरण } जाति बावरी निवासी भुकरका, तहसील, नोहर, जिला
3. भंवरलाल पुत्र खेताराम } हनुमानगढ।
4. तहसीलदार राजस्व नोहर, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. उपपंजीयक कार्यालय नोहर, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ।

— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरूद्ध निर्णय दिनांक 15.04.2021

द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान गंगाराम आदि बनाम साहबराम आदि प्र. सं. 27/2016

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

उपस्थितिः–

श्री कुलदीप सिंह खुड़िया, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री मदन मोहन जोशी, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 3

श्री राजेश कौशिक राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट सं0 4, 5

निर्णय दिनांक 08.02.2023

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसमें कथन किया कि रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 820/752 के खसरा नं. 412 की 10.3830 है0 व खसरा नं. 790/ की 0.3790 है0, खसरा नं. 661/2 की 0.1640 है0 कुल 10.9260 है0 भूमि हीरा पुत्र बींझा की अर्जित भूमि थी। जो पुराने खसरों से नये खसरों में परिवर्तित हुई। हिरा वल्द बींझा के फौत होने पर उसके वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किये जाने की पत्रावली गवाहान प्रार्थी के ब्यानों की पुष्टि व पंचायत की तस्दीक कर हीरा का नाम खारिज कर मु0 केसर देवी हीरा व चानणराम व जैसाराम, श्योनारायण व कुरड़ाराम के नाम दर्ज करने के आदेश दिनांक 12.01.1972 को एसओ द्वारा जरिये मिसल नं. 365/70 चानणराम आदि बनाम हीराराम आदि में दिये गये। गैर सायालान संख्या 2 ता 6 की माता धन्नी पुत्री हीरा जोजा काशीराम ने मिसल नं. 365/70 अनवानी चानण आदि बनाम हीरा में एएसओ के समक्ष बयान दिये कि वह अपने पिता की भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है इसलिए पिता की भूमि में धन्नी का नाम दर्ज ना किया जावे जिस पर आधार पर हीरा वल्द बींझा के जो भूमि के अलावा अन्य और थी जिसमें धन्नी का नाम कलमजन कर दिया यानि खातेदारी भूमि में से धन्नी का नाम कलमजन कर दिया परन्तु जो भूमि गैरखातेदारी थी में गैरसायलान संख्या 2 ता 6 की माता धन्नी के 1/5 हिस्सा कतई गलत तोर से दर्ज करवा लिया जो कतई गलत तौर से दर्ज किया गया है। गैरसायलान की माता धन्नी ने अपने हकों का त्याग किया हुआ केवल नाम दर्ज होने का फायदा उठा कर वाद भूमि रहन बैय कर सकते हैं। आदि कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र में यह अनुतोष मांगा की गैरसायालान को पाबंद किया जावे कि वे प्रश्नगत भूमि को रहन बैय या मुन्तकिल नहीं करें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

2. गैरसायलान/अपीलाण्ट ने प्रार्थना–पत्र का जवाब पेश कर प्रार्थना–पत्र के तथ्यों से इंकार करते हुए प्रार्थना–पत्र खारिज करने का कथन किया। विचारण न्यायलाय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायलाय का आदेश कतई गलत विधि विरूद्ध होने के कारण अपास्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायलाय ने इस तथ्य का विवेचन नहीं किया कि किन आधारों पर भूमि की यथास्थिति रखने के आदेश पारित किये गये हैं, जबकि अपीलाण्ट को अपने हक व हिस्सा की विरास्तन प्राप्त कृषि भूमि को हर तरह से रहन, बैय व अन्तरित करने का अधिकार है। हीरा वल्द बींझा की खातेदारी भूमि में मु0 धन्नी का नाम राजस्व रिकार्ड में कलमजन किया गया था। गैरखातेदारी भूमि से धन्नी का नाम कलमजन नहीं किया गया और धन्नी की मृत्यु के बाद अपीलाण्ट के पक्ष में विधिवत रूप से नामान्तरण दर्ज हुआ है। यदि धन्नी द्वारा अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि का त्यागपत्र रेस्पोडेण्ट के पक्ष में किया गया होता तो आज से अर्सा 40 वर्ष पूर्व ही वे धन्नी का नाम कलमजन करवाकर स्वयं के नाम खातेदारी प्राप्त कर लेते। इसके अभाव में अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा दस्तावजों का गलत अर्थ निकाल कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। प्रथम दृष्टया मामला रेस्पोडेण्ट की बजाय अपीलाण्ट के पक्ष में है इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला रेस्पोडेण्ट के पक्ष में मानकर अहम कानूनी भूल की है। अपीलाण्ट टिब्बी तहसील के रहने वाले हैं और विवादित कृषि भूमि नोहर तहसील में पड़ती है। आपसी सैटलमैंट के आधार पर प्रार्थीगण विवादित कृषि भूमि में अपने हक व हिस्सा की भूमि को अन्तरित कर अपने निवास स्थान टिबबी तहसील में भूमि खरीद करना चाहते हैं। अपीलाण्ट अपीलाधीन आदेश के जरिये इस सुविधा से वंचित हो गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध तरीके से अपीलाण्ट को उसके हक व हिस्सा की कृषि भूमि को अंतरित करने से पाबंद किया है। ज्यादा से ज्यादा अधीनस्थ न्यायालय इस आदेश तक अपीलाण्ट को पाबंद कर सकता था कि वह विशेष जगह या विशेष खसरा या विशेष हिस्सा को अंतरित करने की बजाय अपने हक व हिस्सा को अंतरित कर सकते हैं। अपीलाण्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

कोरोना महामारी के कारण न्यायालयों का कार्य स्थगित रहने के कारण समय पर अपील प्रस्तुत नहीं कर सका। अतः देरी क्षमा की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 820/752 के खसरा नं. 412 की 10.3830 है0 व खसरा नं. 790/ की 0.3790 है0, खसरा नं. 661/2 की 0.1640 है0 कुल 10.9260 है0 भूमि हीरा पुत्र बींझा की अर्जित भूमि थी। जो पुराने खसरों से नये खसरों में परिवर्तित हुई। हिरा वल्द बींझा के फौत होने पर उसके वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किये जाने की पत्रावली गवाहान प्रार्थी के ब्यानों की पुष्टि व पंचायत की तस्दीक कर हीरा का नाम खारिज कर मु0 केसर देवी हीरा व चानणराम व जैसाराम, श्योनारायण व कुरड़ाराम के नाम दर्ज करने के आदेश दिनांक 12.01.1972 को एसओ द्वारा जरिये मिसल नं. 365/70 चानणराम आदि बनाम हीराराम आदि में दिये गये। गैर सायालान संख्या 2 ता 6 की माता धन्नी पुत्री हीरा जोजा काशीराम ने मिसल नं. 365/70 अनवानी चानण आदि बनाम हीरा में एएसओ के समक्ष बयान दिये कि वह अपने पिता की भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है इसलिए पिता की भूमि में धन्नी का नाम दर्ज ना किया जावे जिस पर आधार पर हीरा वल्द बींझा के जो भूमि के अलावा अन्य और थी जिसमें धन्नी का नाम कलमजन कर दिया यानि खातेदारी भूमि में से धन्नी का नाम कलमजन कर दिया परन्तु जो भूमि गैरखातेदारी थी में गैरसायालान संख्या 2 ता 6 की माता धन्नी के 1/5 हिस्सा कतई गलत तोर से दर्ज करवा लिया जो कतई गलत तौर से दर्ज किया गया है। गैरसायलान की माता धन्नी ने अपने हकों का त्याग किया हुआ केवल नाम दर्ज होने का फायदा उठा कर वाद भूमि रहन बैय कर सकते हैं। प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में यह अनुतोष मांगा की गैरसायालान को पाबंद किया जावे कि वे प्रश्नगत भूमि को रहन बैय या मुन्तकिल नहीं करें, जिसे विचारण न्यायलाय ने विधि सम्मत निर्णय के द्वारा उभयपक्षों को सुनकर स्वीकार किया है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति के बिन्दू रेस्पोडेण्ट के पक्ष में है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 2009

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

पेज 17, 2018–19 आरआरटी पेज 531, 1998 आरबीजे पेज 435 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं पत्रावली का निर्णय गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

8. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है धन्नी ने अपने हक हिस्से की भूमि का हकत्याग किया गया था अथवा नहीं एवं रेस्पोडेण्ट का इस भूमि में किसी प्रकार हक हिस्सा है या नहीं ये तथ्य मूल वाद में तय होने हैं। राजस्व रिकार्ड में प्रश्नगत भूमि रेस्पोडेण्ट अपीलाण्ट्स के नाम दर्ज है, जो विरास्तन से उनकी माता धन्नी पुत्री हीराराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से दर्ज हुई। रेस्पोडेण्ट का कथन है कि अपीलाण्ट्स की माता धन्नी ने अपने जीवनकाल में अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों में पक्ष में त्याग किया हुआ है जबकि अपीलाण्ट्स का कथन है कि उनकी माता धन्नी पुत्री हीरा ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग नहीं किया है। चूंकि प्रश्नगत भूमि अपीलाट्स की माता धन्नी देवी के नाम राजस्व रिकार्ड में आज भी दर्ज है यदि धन्नी द्वारा अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि का हक त्याग किया गया होता तो रेस्पोडेण्ट आज से अर्सा 40 वर्ष पूर्व ही वे धन्नी का नाम कलमजन करवाकर स्वयं के नाम खातेदारी प्राप्त कर लेते। राजस्व रिकार्ड में प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट्स के नाम दर्ज होने के कारण प्रथम दृष्टया मामला अपीलाण्ट के पक्ष में है।

9. प्रश्गनत अपीलाण्ट्स के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण वे अभिलिखित खातेदार काश्तकार हैं। एक अभिलिखित खातेदार काश्तकार के विरूद्ध अकारण ही अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जानी उचित नहीं है। यदि उसे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो इससे अपीलाण्ट को असुविधा होगा। इसलिए सुविधा का सन्तुलन भी अपीलाण्ट के पक्ष में है।

10. अपीलाण्ट्स अभिलिखित खातेदार काश्तकार होने के कारण यदि इनके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है तो इससे अपीलाण्ट को अपूर्णीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी अपीलाण्ट के पक्ष में है।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

11. चूंकि राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि धन्नी पुत्री हीराराम के देहान्त होने पर उसके वारिसान अपीलाण्ट्स के नाम दर्ज हो चुकी है। अपीलाट्स प्रश्नगत भूमि के अभिलिखित खातेदार काश्तकार हैं जिनको अपनी भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित करने के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित नही है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

12. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.04.2021 निरस्त किया जाता है एवं अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/2/23

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner